न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 358/2024

अनवान : –

1. सत्यवीर जाखड़ पुत्र स्व. बगड़ावत सिंह उम्र 58 वर्ष जाति जाट निवासी नथवानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ हाल वार्ड नं. 26, अनूपगढ़, तहसील व जिला अनूपगढ़ राज.।

– प्रार्थी

बनाम्

1. तारादेवी पत्नी स्व. बगड़ावतसिंह उम्र 78 वर्ष जाति जाट निवासी नथवानिया, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
2. हनुमानसिंह पुत्र स्व. बगड़ावतसिंह उम्र 61 वर्ष जाति जाट निवासी नथवानिया, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
3. वेदप्रकाश पुत्र स्व. बगड़ावतसिंह उम्र 42 वर्ष जाति जाट निवासी नथवानिया, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
4. राजेश पुत्री स्व. बगड़ावतसिंह पत्नी धर्मपाल जेवलिया उम्र 45 वर्ष निवासी सेक्टर नं. 7, मकान नं. 35, मुक्ताप्रसाद नगर, बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर राज.।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर, जिला हनुमानगढ़ राज. ।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **सायल**
श्री संजय कुमार जोशी अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांकः 25/02/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर के खाता स0 57 के ख0न0 142 की 7.321 हैक्ट, 179 की 4.451 हैक्ट, ख0न0 28 की 6.082 हैक्ट कुल 17.854 हैक्ट भूमि बगड़ावत सिंह पुत्र तनसुख के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बगड़ावत सिंह पुत्र तनसुख के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है वादी के पिता बगड़ावतसिंह का देहान्त हो चुका है। वादी के पिता बगड़ावतसिंह द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी प्रथम शादी रुकमणी देवी के साथ की गई थी जिससे उनके दो सन्ताने वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 हनुमानसिंह पैदा हुई एवं तदुपरान्त वादी की माता रुकमणी के देहान्त हो जाने के बाद बगड़ावतसिंह द्वारा अपनी दूसरी शादी प्रतिवादीया संख्या 1 तारादेवी के साथ की गई थी जिससे उनके दो सन्तान प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 पैदा हुए। इस प्रकार वर्तमान में स्व. बगड़ावतसिंह के वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 कुल 5 जायज एवं विधिक वारिसान है। वादी के पिता द्वारा अपनी जीवनकाल में अपनी पुत्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:52:32 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी

प्रतिवादीया संख्या 4 की शादी बड़े ही धूमधाम से अपनी हैसीयत से बढ़ चढ़कर स्त्रीधन उपहारस्वरूप देकर कर दी थी जो अपने ससुराल में राजी खुशी आबाद है। प्रतिवादीया संख्या 4 का पति राजकीय सेवा में कार्यरत है। तदुपरान्त वादी के पिता के जीवनकाल में ही वादी एवं वादी के पिता वा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने प्रतिवादीया संख्या 4 की पुत्री की शादी में भी लगभग 30 लाख रूपये नगदी/सामान उपहारस्वरूप भात के रूप में प्रतिवादीया संख्या 4 को दिये गये एवं इससे पूर्व वर्ष 2005 में वादी के पिता द्वारा प्रतिवादीया संख्या 4 के पति के नाम से एक प्लॉट साईज 40 गुणा 60 वर्गफुट, विनायक विहार, बीकानेर में खरीद करके दिया एवं समय समय पर प्रतिवादीया संख्या 4 के समस्त सामाजिक क्रियाक्रमों का निर्वहन किया एवं जरूरत अनुसार समय समय पर प्रतिवादीया संख्या 4 के समस्त पारीवारिक समारोहों में शरीक होकर प्रतिवादीया संख्या 4 के पति जो भी समाजिक कर्तव्य बनते है. उनका निर्वहन किया जा रहा है। वादी के पिता द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपनी पुत्री की शादी कर दिये जाने के बाद वादी के पिता द्वारा अपने नाम से दर्ज वर्णित विवादित कृषि भूमि भी अपने पुत्रों यानि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को जीवनयापन के लिये उनके मध्य भूमि की किस्म अनुसार बंटवारा करके दे दी। मुताबिक घरू बंटवारा वादी के पिता द्वारा विवादित भूमि के 4 हिस्से किये गये जिनमें 1/4 हिस्सा वादी को, 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 को, 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 को दी गई व शेष 1/4 हिस्सा भूमि अपने पास जीवनयापन हेतु रखी गई। मुताबिक घरू बंटवारा वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 विवादित भूमि में 1/4–1/4 हिस्सा भूमि पर काबिज होकर काश्त करने लगे एवं 1/4 हिस्सा भूमि जो वादी के पिता द्वारा अपने हिस्सा में रखी वह वादी के पिता के जीवनकाल में वादी के पिता के कब्जा काश्त में रही एवं उनके देहान्त के बाद उक्त 1/4 हिस्सा भूमि वादी की सौतेली माता प्रतिवादीया संख्या 1 के कब्जा काश्त में चली आ रही है। मौका पर इसी घरू बंटवारा अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है एवं मौका पर अपने अपने हिस्सा की भूमि पर अपनी अपनी फसल काश्त की हुई है। वादी द्वारा घरू बंटवारा में आई अपने हिस्सा की भूमि में हजारों रूपये खर्च कर काफी सुधार एवं विकास किया है। संयुक्त हिन्दू परिवार की सामाजिक परम्पराओं के अनुसार पुत्री को पीहर पक्ष की भूमि में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता क्योंकि पुत्री को उसके ससुराल पक्ष की सम्पति में हिस्सा मिल जाता है एवं पीहर पक्ष द्वारा समय समय पर पुत्री के समस्त सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किया जाता है वा समय समय पर पुत्री को उपहार स्वरूप धन या स्त्रीधन आदि दिया जाता है ताकि सामाजिक तानाबाना खराब ना हो एवं पुत्री का अपने पीहर पक्ष से भी सामाजिक रिश्ता [illegible] वादी के पिता द्वारा भी अपनी पुत्री की शादी किये जाने वा समस्त सा[illegible] के कारण विवादित भूमि को कुल 4 हिस्सों में विभाजित [illegible]वादीया संख्या 4 द्वारा भी अपनी सहमति व्यक्त की गई। तदुपरान्त वादी के पिता के देहान्त के बाद वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा प्रतिवादीया संख्या 4 के समस्त सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है। वादी के पिता के जीवनकाल में वादी द्वारा अपने पिता से कई बार आग्रह किया कि वह अपने जीवनकाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:52:32 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

में ही विवादित भूमि में से घरू बंटवारा मुताबिक 1/4 हिस्सा भूमि उसके नाम से दर्ज करवा देवें लेकिन वादी के पिता द्वारा अपने जीवनकाल में हर बार वादी को यही कहा गया कि आप चिन्ता न करें, मैंने आपको आपके हिस्सा की भूमि घरू बंटवारा करके दे रखी है एवं आपका शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, मैं शीघ्र ही तहसील कार्यालय चलकर आपके वा आपके भाईयों के नाम से उनके हिस्सानुसार भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करवा दूंगा। चूंकि वादी अपने पिता की बातों पर सदभाविक रूप से विश्वास करता रहा एवं समय व्यतीत होता रहा लेकिन इसी दौरान वादी के पिता का दिनांक 02. 05.2022 को देहान्त हो गया। वादी के पिता के देहान्त के बाद से ही वादी के भाई–बहन एवं माता वादी के साथ अनबन रखने लगे ताकि वादी को विवादित भूमि में से कुछ भी हासिल ना हो सके एवं इसी क्रम में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 ने आपस में मिलीभगत कर वादी के पिता के हस्ताक्षरित चौकों को दुरूपयोग करते हुए उक्त विवादित भूमि पर वादी के पिता द्वारा बनाई गई केसीसी लिमिट की राशि एवं उक्त केसीसी खाता में आई बीमा क्लेम की राशि को उक्त चौकों का दुरूपयोग करते हुए बैंक को मुगालता में रखते हुए बैंक को स्व. बगड़ावतसिंह की मृत्यु की सूचना न देकर राशि उब ली एवं हड़प कर ली। वादी को प्रतिवादीगण संख्या । ता 4 के उक्त कृत्य का पता चलने पर वादी द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को इस संबंध में ओलंभा दिया तो उनके द्वारा वादी को कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं दिया एवं उक्त उठाई गई राशि जमा करवाने से भी इन्कार हो गये लेकिन तदुपरान्त बीमा क्लेम की राशि उक्त केसीसी खाता में जमा होने पर उक्त कृषि भूमि को रहनमुक्त करवाया गया।

विवादित भूमि अभी तक वादी के पिता स्व. बगड़ावतसिंह के नाम से ही दर्ज राजस्व रिकॉर्ड होने के कारण वादी को अपने हिस्सा में आई भूमि के संबंध में विभिन्न प्रकार की राजस्व कार्यवाहियों करने, विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इसलिये वादी द्वारा अपने पिता के देहान्त के बाद प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को कई बार कहा कि विवादित भूमि में वादी का जो भी हक हिस्सा है उसके नाम दर्ज करवा देवे। कुछ दिन तो आजकल करते रहे किंतु अंत में इन्कार हो गये। सामाजिक व्यवस्था के अुनसार पुत्री का पीहर पक्ष की सम्पति में कोई हिस्सा नही बनता है। इसलिए प्रार्थी उक्त में 1/4 हिस्सा अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। लेकिन अप्रार्थीगण बगड़ावत के नाम दर्ज भूमि में प्रार्थी के हक हिस्सा की भूमि में दखल दे रहे है। अत अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे की उक्त वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:52:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश हो[illegible] किया गया। रोही मौजा ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर के ख[illegible]0 142 की 7.321 हैक्ट, 179 की 4.451 हैक्ट, ख0न0 28 की 6.082 हैक्ट कुल 17.854 है[illegible] भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Rahul

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र मय काउंटर क्लमे इस आशय का पेश किया की सायल कभी भी अपने पिता बगड़ावत के कहने में नही था तथा हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार पुत्रीया भी अन्य वारिसान के साथ अपने पिता की सम्पति में बहिब की हकादर है। सायल व गैरसायलान द्वारा कभी भी कोई बंटवारा नही किया गया है। उक्त भूमि में सायल व गैरसायलान प्रत्येक 1/5 हिस्सा भूमि के हकदार है। बगड़ावत ने सयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक आय से अन्य भूमि खरीद कर वादी व प्रतिवादी स0 2 के नाम दर्ज करवाई थी। प्रार्थी द्वारा उक्त तथ्यों को छुपाकर उक्त भूमि में 1/4 हिस्सा दर्ज करवाना चाहता है जबकि प्रार्थी का उक्त भूमि में 1/5 हिस्सा ही बनता है तथा वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे मृतक के नाम दर्ज है इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही है। रोही मौजा ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर के खाता स0 57 के ख0न0 142 की 7.321 हैक्ट, 179 की 4.451 हैक्ट, ख0न0 28 की 6.082 हैक्ट कुल 17.854 हैक्ट भूमि व रोही मौजा ललानाबास उतरादा के खाता स0 141/141 की कुल 2.5270 हैक्ट भूमि में से वादी व प्रतिवादी स0 2 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 4 प्रत्येक को 1/5 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। अत जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने आरबीजे 2002 पेज न0 105, आरएलडब्यू 1977(2) एससी पेज न0 294, सीसीसी 2010(3) पेज न0 800, सीसीसी 2010(1) पेज न0 366, अपील न0 56/35/2023 राहुल बनमा किरण एससी निर्णय दिनांक 12.09.2025 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बगड़ावत के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो की प्रार्थी का पिता है। बगड़ावत का देहान्त हो चुका हे। बगड़ावत के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण स 1 ता 4 है अप्रार्थी स0 4 जो की प्रार्थी की बहिन है की शादी हो चुकी है एवं हिन्दु परिवार की सामाजिक परम्पराओं के अनुसार पुत्रीयों का पिता की सम्पति में हिस्सा नहीं होता है। इसलिए 1/4 हिस्सा भूमि का प्रार्थी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे जबकि अप्रार्थीगण का कथन है कि हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार पुत्रीयों का भी अपने पिता की सम्पति में अन्य वारिसान की बराबर हक हिस्सा होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:32:32 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के मुताबिक उक्त वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बगड़ावत के नाम दर्ज है जो की प्रार्थी का पिता है तथा बगड़ावत का देहान्त हो चुका है अर्थात वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मृतक के नाम दर्ज है एवं प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को पाबन्द करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जबकि अप्रार्थीगण के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज ही नही है इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही है, उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 04.06.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 24/02/26 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:32:32 IST
Reason: SelfAttested